

आधिकारी, चास।

12/10/20
14/12/20
हमाह

144

ति कार्यवाही

14-11/2020

पक्ष :- 1. गालती देवा, सा0 बांधगोडा साईड, पो0 सतनपुर, थाना पिण्डाजोरा, जिला...

द्वितीय पक्ष :- 1. मुनीबारा देवी, सा0 बांधा राम चौधरी, सा0 बांधगोडा साईड पो0 सतनपुर, पो0-पिण्डाजोरा, जिला...

अनुमण्डल मुद्दाही

प्रथम पक्ष के आवेदन दिनांक 14/11/2020 का अवलोकन किया गया। उपर्युक्त आवेदन के अनुसार यह ज्ञात होता है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद है जिससे कभी भी शांतिपूर्ण तरीके की आशा है। परिणामस्वरूप द0प्र0सं0 की धारा 144 के अंतर्गत दोनों पक्षों के सदस्यों के विरुद्ध पिण्डाजोरा कार्यवाही करने हेतु आवेदन प्राप्त है ताकि शान्ति-व्यवस्था बनाया जा सके।

विवरित भूमि

राजस्व भ्रातृ/गौजा का नाम	पुलिस थाना का नाम	उत्तरा सं०	खेसरा/प्लॉट सं०	रकबा
बांधगोडा	पिण्डाजोरा	57	1510, 1508	20 डी0 में से 10 डी0

उत्तर :- श्रीमती महतो का जमीन, पुरव :- लखीराम रजवार

द्वितीय पक्ष का जमीन, पुरव :- लखीराम रजवार

यदि आवेदन के विवरण के अनुसार द0 की धारा 144 के अंतर्गत उपर्युक्त विवरण की भूमि पर एनए द्वारा दोनों पक्षों के सदस्यों के बीच से निष्पत्ति किया जाता है। साथ ही दोनों पक्षों के सदस्यों को यह आदेश दिया जाता है कि अगामी दिनांक 21/9/2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर इस आदेश का पालन-पूर्वक यदि कोई भी अपित करे कि उपर्युक्त भूमि पर जाने के लिए निषेधित है। अन्यथा दंडित किया जाएगा।

अनुमण्डल दंडाधिकारी,
चास।

31/9/20 सूचना का तामिला प्राप्त।

प्रथम पक्ष के हाजिरी हेतु स/ल हेतु साथ का आवेदन है।

द्वितीय पक्ष का स/ल कारिवाल, तथा कागजात का व्यापारि कारिवाल।

दिनांक 12/10/2020 को रखे।

Office File - SDJ Office - 20/10/2020 - S.D.M. Chas

S.D.M.
Chas

14/11/20

not party filed s/c
and party filed reply to s/c
seek to report on the land
ready to continue on 14/12/2020

S.D.M.
Chas

14/12/2020

Sec 144 imposed since more than 60 days
Sec 144 is time bound hence case is
dropped

SP
14/12/2020

14/12/2020
SP